UPGK010048722024

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट सं0–4, गोरखपुर।

उपस्थितः–नन्द कुमार, (H.J.S.)

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–55/2024

1– जगदीश नारायण पुत्र रामगति सिंह,

निवासी मौजा भीटी, तप्पा खुटहन, परगना धुरियापार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर, हाल मुकाम मकान नम्बर डी0एफ0–38, देवबंधू नगर, साहापारा जोरा मंदिर, उत्तरी 24 परगना, वेस्ट बंगाल।

–––––अपीलार्थी/प्रतिवादी प्रथमपक्ष।

2– श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी पप्पू यादव,

3– श्रीमती होशिला देवी पत्नी नन्दू यादव,

4– श्रीमती सुनीता देवी पत्नी धर्मेन्द्र यादव,

5– श्रीमती अंजू यादव पत्नी आनन्द यादव,

6– श्रीमती सरिता यादव पत्नी रितेश यादव,

निवासीगण– सम्मय थान, भीटी, तप्पा खुटहन, परगना धुरियापार, तहसील गोला, जनपद गोरखपुर।

––––––अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष।

बनाम

1– इन्द्र बहादुर सिंह,

2– वीरेन्द्र बहादुर सिंह व

3– सुरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्रगण स्व0 विश्वनाथ सिंह,

निवासीगण मौजा भीटी, तप्पा खुटहन, परगना धुरियापार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर।

–––––प्रत्यर्थीगण/वादीगण।

अपील दाखिला की तिथि–21.05.2024,

निर्णय तिथि–01.04.2026,

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील अपीलार्थीगण जगदीश नारायण आदि द्वारा विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), गोरखपुर द्वारा वाद संख्या–1136/2023 इन्द्र बहादुर सिंह आदि बनाम जगदीश नारायण आदि में पारित आदेश दिनांकित 07.05.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के प्रार्थनापत्र का0सं0–7ग को स्वीकार किया गया है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष संक्षेप में वादीगण इन्द्र बहादुर सिंह आदि द्वारा प्रार्थनापत्र का0सं0–7ग अंतर्गत आदेश 39, नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी ओर से कथन किया गया कि वादीगण द्वारा दावा हाजा काफी अच्छे आधार पर संस्थित किया गया है, जिसमे कामयाबी मिलने की पूरी संभावना है। वादीगण का प्रथम दृष्टया केस साबित है, सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। यदि प्रतिवादीगण द्वितीय

पक्ष अपने फेल बेजा में कामयाब हो जायेंगे तो वादीगण की अपूर्णीय क्षति कारित हो जायेगी। ऐसी स्थिति में जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को मना किया जाये कि प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल न करें। उपरोक्त आधार पर प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में दिये गये कारणों के आधार पर वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा मना किये जाने की याचना की गयी कि विवादित संपत्ति अक्षर क,ख व ग स्थित भीटी कौवाडील एवं सरवरपार, तहसील गोला जिला गोरखपुर में जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल न करें, न ही किसी को अंतरण करें, न ही किसी को हस्तगत करें।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र उपरोक्त के विरुद्ध आपत्ति का0सं0–19ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश एकदम असत्य व निराधार है तथा वादीगण को इम्तनाई का कोई हक नहीं है। वादी प्रश्नगत संपत्ति पर अध्यासित नहीं है, सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादी को कोई क्षति कारित नहीं होगी, बल्कि प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र इम्तनाई सव्यय खारिज किये जाने की याचना की गयी।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 9ग से खतौनी आराजी सं0–202, मौजा भीटी, खतौनी आराजी सं0–557, मौजा कौवाडील, खतौनी आराजी सं0–32, मौजा सरवरपार की छायाप्रति, आदेशपत्र बाबत मुकदमा बंटवारा, पंजीकृत दस्तावेज बैनामा सं0–5310, 5311 एवं 5312 दिनांकित 26.10.2023 की नकल दाखिल की गयी।

3. विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.05.2024 द्वारा वादी के प्रार्थनापत्र का0सं0–7ग को स्वीकार किये जाने योग्य पाते हुए इसे स्वीकार किया गया है। उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील योजित की गयी।

4. संक्षेप में आधार अपील यह है कि आलोच्य आदेश गलत, विधि विरुद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किये बगैर सरसरी तौर पर पारित किया गया है। विवादित्त आराजियात जिसके सम्बन्ध में खतौनी अभिलेख पत्रावली पर दाखिल हैं, उसके अनुसार प्रतिवादी अपीलार्थी संख्या–1 उसके सहभूमिधर व खातेदार वादीगण के साथ है, जिसमें प्रतिवादी अपीलार्थी संख्या–1 का हिस्सा आधा होता है तथा वादीगण रेस्पान्डेन्ट संख्या–1 ता 3 जो कि अपीलार्थी संख्या–1 के जो भाई विश्वनाथ को है, के पुत्रगण हैं। उसका आधा हिस्सा होता है अर्थात सभी लोग सहखातेदार है और संयुक्त रूप से उस पर काबिज दखील चले आते रहे हैं और आपसी सहूलियत से हर दो आराजियात में अपने–अपने हिस्से पर जोतते बोते चले आते रहे। प्रतिवादी अपीलार्थी संख्या–1 ने विवादित आराजियात का जो बैनामा सम्पूर्ण आराजियात में अपने 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न दस्तावेजों द्वारा प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 6/अपीलार्थी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया है। उसमें जो चौहददी अंकित की है, वह सम्पूर्ण आराजी की चौहददी अलग–अलग अंकित है। अर्थात अपीलार्थी संख्या–1 ने मात्र अपने हिस्से का बैनामा किया है और चूँकि मौके पर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या–1 सहूलियत के अनुसार एक तरफ अपनी खेती करते थे। इस वजह से मौके पर जिस तरफ प्रतिवादी संख्या–1 का हिस्सा कब्जा आराजियात में था, उस तरफ बैनामा के पश्चात वादी संख्या–1 ने क्रेतागण प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को कब्जा दखल दे दिया था और सरकारी अभिलेख में प्रतिवादी संख्या–1 तथा वादीगण की संयुक्त भूमिधरी है और कोई बंटवारा न्यायालय द्वारा अथवा रजिस्ट्री दस्तावेज द्वारा नहीं हुआ है।बैनामे के बाद से विवादित आराजियात के आधे भाग पर प्रतिवादी अपीलार्थी संख्या 2 ता 6 का कब्जा दखल वादीगण के साथ बतौर सहभूमिधर चला आ रहा है और भू–स्वामी के विरूद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का विधान सही है। वादीगण यदि विवादित आराजियात में अपने हिस्से का बंटवारा करना चाहते हैं तब उन्हें बटवारे का वाद दाखिल करना चाहिए था और इम्तनाई का वाद कदापि ऐसी परिस्थति में पोषणीय नहीं था और

इम्तनाई आदेश न्यायालय द्वारा सह भूमिधर के विरूद्ध पारित नहीं करना चाहिए था और जैसा कि आर्डर 39, नियम–2(2) जाप्ता दीवानी में स्पष्ट प्रावधानित भी है और उसके सम्बन्ध में धारा–38 तथा धारा–41(h) विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम में प्रावधानित भी है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला पर विचार करते समय तथा अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा तथा असुविधा का संतुलन के बिन्दु पर विचार करते समय जिन केस लॉ का उल्लेख किया है, वह प्रस्तुत्त प्रकरण में किसी प्रकार से प्रभावी व उपयोगी नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब विवादित आराजियात्त के सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच बंटवारे का वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है, तब ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का नहीं था और सक्षम न्यायालय में लम्बित बंटवारा वाद में ही आवश्यकता अनुसार वादी रेस्पान्डेन्टियान को अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। वादी/रेसपान्डेन्टियान ने बैनामाजात के मंसूखी का दावा दाखिल किया है और साथ में यह अनुतोष मांगा है कि प्रतिवादीगण को हमेशा के लिए मना किया जाये कि प्रतिवादीगण/वादीगण के शांतिपूर्ण प्रयोग एवं कब्जा दखल में कोई मुजाहिमत व मुदाखिलत न करे। उनके द्वारा ऐसा कोई अनुतोष नहीं मांगा गया था कि प्रतिवादीगण को मना किया जाये कि वह जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को बेदखल न करे जबकि इसके उलट प्रार्थना पत्र 7ग में कथन किये गये हैं। विवादित्त आराजियात को प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या–1 ने जब बैनामा प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या 2 ता 6 को किया था, तब उस समय अपने हिस्से भूमि पर प्रतिवादी संख्या–1 की अरहर की फसल बोई हुई थी और बैनामा के बाद प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 6 ने अरहर की फसल पकने पर उसे स्वयं कटवा लिया और उसमें चरी की बोआई करा दिया, जो इस समय खडी है और अपीलार्थी संख्या–2 ता 6 के कब्जे में है तथा विवादित आराजियात के आधे भाग में वादीगण/रेस्पान्डेन्टियान ने पिछले फसल में धान बोया था जिसे दिसम्बर के लगभग कटवा लिया था और उसके बाद में उसमें कोई फसल अब तक नही बोया है और खाली पड़ी है। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित हो जाने के बाद से वादी रेस्पान्डेन्टियान विवादित आराजियात में प्रतिवादी/रेस्पान्डेन्ट संख्या–2 ता 6 द्वारा बोये गये चारा की फसल को जबरदस्ती कटवा देने की धमकी दे रहे हैं। जबकि सम्पूर्ण आराजियात्त पर उनका कब्जा दखल नहीं है और अपने आधे हिस्से पर वह लोग काबिज है और आधे हिस्से पर बैनामा के बाद से प्रतिवादी/अपीलार्थीगण सख्या 2 ता 6 काबिज है। उपरोक्त आधारों पर उनकी अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.05.2024 को निरस्त करते हुए निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र का0सं0–7ग को खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से अपील के समर्थन में विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 07.05.2024 व तत्संबंधी डिक्री की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से अपील के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाओं को संदर्भित किया गया है–

1– **Vinod Kumar** & **Ors Vs Sudha Land Ventures and homes PVT**. **LTD**, 2015 (33)**LCD** 3254,

2– **State of UP** & **Anr Vs Raj Karan** & **Anr**, 2015 (33)**LCD** 3263,

3– **Kishan Singh Vs Sucha Singh**, **AIR** 2008 (**NOC**) 925 (**P**. & **H**.),

4– **Dinesh Kumar Vs Addl Distt**. **Judge**, **Court No**. 15, **Meerut** & **Ors**, 2007 (1) **AWC** 459,

5– **The Specific Relief Act**, 1963,

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का सादर अवलोकन किया।

प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से उपरोक्त अपील के विरोध में मौखिक आपत्ति करते हुए निम्न विधि व्यवस्थाओं को संदर्भित किया गया है–

1– **Gajara Vishnu Gosavi Vs Prakash Nanasahed Kamble** & **Ors, AIRONLINE**, 2009 **SC** 648,

2– **Ramdas Vs Sitabai** & **Ors, AIR** 2009 **SC** 2735,

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का सादर अवलोकन किया।

5. अपील के निस्तारण हेतु उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मूल पत्रावली व अपील पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 07.05.2024 के परिशीलन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन साबित पाते हुए सद्भावनापूर्ण आचरण के संबंध में विस्तृत विचार करते हुए वादीगण के प्रार्थनापत्र का0सं0–7ग को स्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से उक्त अपील योजित की गयी है।

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष **वादीगण इन्द्र बहादुर सिंह आदि की ओर से वादपत्र का0सं0–4क** इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि वादी व प्रतिवादी प्रथम पक्ष एक ही खानदान के लोग हैं। प्रतिवादी प्रथम पक्ष वादीगण के सगे चाचा हैं। वाद पत्र के अंत में दिये गये समूह 'क' आराजी नं0–202 रकबा 1.2590हे0 स्थित मौजा–भीटी, तप्पा–खुटहन, परगना–धुरियापार, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर, समूह 'ख' में दर्ज आराजी नं0–557 रकबा 0.4150 हे0 एवं 554 रकबा 0.091 हे0 स्थित मौजा कौवाडील, तप्पा–चांदपार, परगना–धुरियापार, जनपद–गोरखपुर एवं समूह 'ग' आराजी नं0–32 रकबा 0.2950हे0 स्थित मौजा–सरवरपार, तप्पा–धुरियापार, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर के सह खातेदार हैं, जिनके सम्बन्ध में कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष संयुक्त रूप से बतौर मालिक एवं काबिज दखील चले आ रहे हैं। प्रश्नगत जमीन में वादीगण का अंश 1/2 एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष का अंश 1/2 है। विवादित सम्पत्ति अन्दर समूह 'क', 'ख' व 'ग' के बंटवारे हेतु प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने एक वाद संख्या–274/2022 (T–202005310705884) उपजिलाधिकारी, गोला, गोरखपुर के न्यायालय में वादीगण के विरूद्ध दिनांक–05.09.2022 को संस्थित किया जो जेरे कारवाई है, जिस पर उपजिलाधिकारी गोला, गोरखपुर न्यायालय द्वारा कोई बंटवारे का आदेश नहीं किया गया है। इस दौरान प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को विवादित सम्पत्ति जिसका वर्णन वाद पत्र के अन्त में समूह 'क', समूह 'ख' व समूह 'ग' का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक–26.10.2023 को किया गया, जो क्रमशः उपनिबंधक गोला, जनपद–गौरखपुर के कार्यालय में बही संख्या–1, जिल्द संख्या–5760 के पृष्ठ सं0–187 से 210 तक क्रमांक 5310 पर, बही सं0–1, जिल्द संख्या–5760 के पृष्ठ सं0–211 से 234 तक क्रमांक 5311 पर व बही संख्या–1, जिल्द संख्या–5760 के पृष्ठ 235 से 260 तक क्रमांक 5312 रजिस्ट्रीकृत किया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को माह नवम्बर 2023 के तीसरे सप्ताह में होने पर वादीगण ने विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को किये गये तीनों बैनामे की नकल हेतु नकल प्रार्थना पत्र देकर निबंधन कार्यालय, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर से पंजीकृत तीनों विक्रय–विलेखों दिनांक–26/10/2023 की नकल दिनांक–25.11.2023 को प्राप्त किया। दिनांक–16.12.2023 को प्रतिवादीगण कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर समूह 'क' में वर्णित आराजी नं0–202 रकबा 1.2590 हे0 स्थित मौजा–भीटी, तप्पा–खुटहन, परगना धुरियापार, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर का नाप–जोख करने लगे तथा वादीगण के मना करने पर प्रतिवादीगण एवं उनके साथ आये लोग अमादा फौजदारी हो गये।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने बिना अधिकार व बिना बंटवारा विवादित सम्पत्ति का विक्रय जरिये पंजीकृत दस्तावेज बैनामा दिनांक–26.10.2023 को प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कर दिया है, जो बिना बंटवारा होने, प्रतिफल की रकम नुमाईशी तौर पर दिखाये जाने, गवाहान प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के मेली मददगारान होने, प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष फ्राड एवं धोखाधड़ी से प्रतिवादी प्रथम पक्ष की मानसिक अवस्था ठीक न रहने के दौरान विवादित पंजीकृत विक्रय–विलेख तहरीर कर पंजीकृत करवा लेने, विवादित पंजीकृत विक्रय–विलेख एक्ट अपान न होने के कारण मंसूख होने योग्य है। **जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र का0सं0–21क** प्रस्तुत कर वादपत्र के कुछ कथनों को स्वीकार व कुछ कथनों से इंकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादी सं0–1 का प्रश्नगत भूमि पर 1/2 व 1/2 हक व हिस्से के संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील हैं। विश्वनाथ सिंह व जगदीश सिंह आपस में सगे भाई है, जिन्होंने अरसा बहुत समय पूर्व आपस में मिलबैठ कर अपनी संपूर्ण जायदाद तथा प्रश्नगत आराजियात का आपसी सहमति से खानगी तौर पर बांट लिया तथा संपूर्ण संपत्ति के निस्फ हिस्से पर अलग–अलग बतौर स्वामी मालिक काबिज दखील हुए तथा एक दूसरे के हिस्से से प्राप्त संपत्ति से दूसरे से किसी किस्म का कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा। प्रतिवादी सं0–1 ने प्रतिवादीगण 2 ता 6 से रूपया प्राप्त कर दिनांक 26.10.2023 को तीन किता विक्रय विलेख निष्पादित कर कराकर उक्त आराजियात पर बतौर भूमिधर मालिक काबिज दखील करा दिया। **उपरोक्त तर्कों के आलोक में न्यायालय का मत है कि** प्रश्नगत संपत्ति पर वादीगण व प्रतिवादी प्रथम पक्ष का क्रमशः 1/2 व 1/2 हक व हिस्सा है, जिसे वादीगण व प्रतिवादी प्रथम पक्ष दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी प्रथमपक्ष द्वारा अपने हक व हिस्से में से वाद पत्र के अन्त में वर्णित समूह 'क', समूह 'ख' व समूह 'ग' का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक–26.10.2023 को प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष 2 ता 6 को किया गया, जो क्रमशः उपनिबंधक गोला, जनपद–गौरखपुर के कार्यालय में बही संख्या–1, जिल्द संख्या–5760 के पृष्ठ सं0–187 से 210 तक क्रमांक 5310 पर, बही सं0–1, जिल्द संख्या–5760 के पृष्ठ सं0–211 से 234 तक क्रमांक 5311 पर व बही संख्या–1, जिल्द संख्या–5760 के पृष्ठ 235 से 260 तक क्रमांक 5312 रजिस्ट्रीकृत किया गया, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर का0सं0–13ग/1 ता 11, 14ग/2 ता 12 व 15ग/2 ता 13 के रूप में संलग्न है। यद्यपि विचारण न्यायालय का यह मत ठीक है कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, किंतु विचारण न्यायालय का यह मत कि वादी मुकदमा को बिना बंटवारा कराये यदि संपत्ति से बेदखल कर देगा तो यह स्वाभाविक है कि काश्तकार को अपूरणीय क्षति होगी, न्यायोचित विदित नहीं होता है, क्योंकि प्रतिवादी सं0–1 द्वारा प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष को रजिस्टर्ड बैनामा कराया गया है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष को भी क्षति होने की पूर्ण संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का मत है कि बैनामा होते ही किसी संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण मान लिया जाता है। बैनामे में कब्जे का परिदान (Delivery of possession) भी निहित है। **अन्तवर्ती व्यादेश शुद्ध रूप से एक साम्यिक अनुतोष है। व्यादेश जारी करते समय उन तमाम विचारों में से एक यह कि वह पक्षकार जो व्यादेश की माँग करता है, उसे न्यायालय के सामने यह प्रदर्शित करना चाहिये कि उसका आचरण निर्दोष है और उसका व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति जिसके विरुद्ध वह व्यादेश की माँग कर रहा है, अनुचित और असाम्यिक नहीं रहा है, उसका आचरण उचित और ईमानदारी का रहा है, यह उतना ही उस पक्षकार पर भी लागू होता है जो व्यादेश का प्रतिसंहरण चाहता है।**

ध्यान रहे व्यादेश का जारी करना न्यायालय का विवेकाधीन या वैवेकिक अधिकार है, उपरोक्त तीनों शर्तों प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन के पूरा होने पर भी न्यायालय किसी अन्य कारण से अस्थायी व्यादेश का जारी करना, अस्वीकार कर सकता है। व्यादेश को जारी करने के लिये उपर्युक्त शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अपीलार्थीगण द्वारा सद्भावपूर्ण खरीदार (Bonafied Purchaser) है, जिनके द्वारा प्रतिफल देकर प्रतिवादी प्रथमपक्ष से भूमि प्राप्त की गयी है। अतः अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण दोनों विवादित भूमि समूह 'क' आराजी

नं0–202 रकबा 1.2590हे0 स्थित मौजा–भीटी, तप्पा–खुटहन, परगना–धुरियापार, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर, समूह 'ख' में दर्ज आराजी नं0–557 रकबा 0.4150 हे0 एवं 554 रकबा 0.091 हे0 स्थित मौजा कौवाडील, तप्पा–चांदपार, परगना–धुरियापार, जनपद–गोरखपुर एवं समूह 'ग' आराजी नं0–32 रकबा 0.2950हे0 स्थित मौजा–सरवरपार, तप्पा–धुरियापार, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर के संयुक्त रूप से भू–स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में विवाद को रोकने हेतु विवादित भूमि की सुरक्षा व संरक्षा हेतु उपरोक्त विवादित भूमि पर यथास्थिति का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

8. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का सही ढंग से परिशीलन नहीं किया गया है, न ही प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों का सम्यक विश्लेषण किया गया है, जिसके कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.05.2024 विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण इसमें हस्तक्षेप किया जाना औचित्यपूर्ण है तथा यह बने रहने योग्य नहीं है।

तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.05.2024 संशोधित किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण जगदीश आदि द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील सं0–55/2024, जगदीश नारायण आदि बनाम इन्द्र बहादुर सिंह इस आशय से निस्तारित की जाती है कि उभयपक्षों वादपत्र के अंत में दर्शित विवादित संपत्ति समूह 'क' आराजी नं0–202, रकबा 1.2590 हे0, स्थित मौजा–भीटी, तप्पा–खुटहन, परगना–धुरियापार, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर, समूह 'ख' में दर्ज आराजी नं0–557 रकबा 0.4150 हे0 एवं 554 रकबा 0.091 हे0 स्थित मौजा कौवाडील, तप्पा–चांदपार, परगना–धुरियापार, जनपद–गोरखपुर एवं समूह 'ग' आराजी नं0–32 रकबा 0.2950 हे0, स्थित मौजा–सरवरपार, तप्पा खुटहन, परगना धुरियापार, तहसील–गोला, जनपद–गोरखपुर पर यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावे।

पक्षकार दिनांक 15.04.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांक–01.04.2026

(नन्द कुमार)

अपर जिला जज, कोर्ट सं0–4, गोरखपुर।

J.O Code UP–01702

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–01.04.2026

(नन्द कुमार)

अपर जिला जज, कोर्ट सं0–4, गोरखपुर।

J.O Code UP–01702

Digitally signed by NAND KUMAR
Date: 2026.04.01 16:30:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court